मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 084 / 2024

1. सुरजीत सिह पुत्र मोहरसिह जाति जटसिख निवासी मेहरवाला हाल शाम कोट, शाम खेडा तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर साहिब।

— — वादी

बनाम

1. मोहरसिह पुत्र मंगलसिह जाति जटसिख निवासी मेहरवाला हाल शाम कोट, शाम खेडा तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर साहिब।
2. नक्षत्र सिह पुत्र मोहरसिह जाति जटसिख निवासी मेहरवाला हाल शामकोट, शाम खेडा तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर साहिब।
3. निशानसिह पुत्र मोहरसिह जाति जटसिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. हरदीप सिह पुत्र मोहरसिह जाति जटसिख निवासी मेहरवाला हाल शामकोट, शाम खेडा तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर साहिब।
5. अमरजीत कौर पुत्री मोहरसिह पत्नी गुरमेल सिह जाति जटसिख निवासी चननखेडा ढाणी अमरसिह, तहसी अबोहर जिला फाजिल्का।
6. मनजीत कौर पुत्री मोहरसिह पत्नी अमरीकसिह जाति जटसिख निवासी बुर्जा तहसील व जिला श्रीमुक्तसर साहिब।
7. रुपिन्द्र कौर पुत्री मोहरसिह पत्नी निरवेरसिह जाति जटसिख निवासी सरावा बोदला तहसील व जिला श्रीमुक्तसर साहिब।
8. दविन्द्र कौर पुत्री मोहरसिह पत्नी बलजीत सिह जाति जटसिख निवासी बुर्ज मखनसिह, तहसील व जिला फिरोजपुर पंजाब।
9. अमरजीत कौर पुत्री मोहरसिह पत्नी कीकरसिह जाति जटसिख निवासी बुर्ज मखन सिह तहसील व जिला फिरोजपुर पंजाब।

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :–88 आर.टी.ए.घोषणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:00:03 IST
Reason: SelfAttested

नि[illegible] दिनांक :– 31.05.2024

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी

वादी की ओर से श्री [illegible] अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 31-0[illegible] को स्वाति गुप्ता उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

Scanned with CamScanner

(क) वादी सुरजीतसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 नक्षत्रसिंह को बहिस्सा बराबर प्राप्त आराजी:- प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नम्बर 6 एन.डी.आर. के खाता संख्या 32/31 में कुल 3.036 हैक्टर में से 152/759 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा व इसी चक के खाता संख्या 27/26 में कुल 2.810 हैक्टर में से 759/2810 हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा।

(ख) प्रतिवादी संख्या 3 निशानसिंह को प्राप्त आराजी:- प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नम्बर 6 एन.डी.आर. के खाता संख्या 32/31 में कुल 3.036 हैक्टर में से 152/759 हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा व इसी चक के खाता संख्या 27/26 में कुल 2.810 है0 में से 759/2810 हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा की आराजी।

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 6 एन.डी.आर. के खाता संख्या 32/31 व इसी चक के खाता संख्या 27/26 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 31.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
रूपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
आदेशिका की तामिल	--		
योग	--	योग	--

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:00:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner